

(249) नम० - 4679/2018/रीवा/भरा (125)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल म०प० खालियर रीवा कैम्प
संभाग रीवा ॥ म०प०



श्रीमती प्रेमती पत्नी श्री मनसुखलाल पाण्डेय उम् 62 वर्ष,
निवासी ग्राम झाँपुखा, थाना व तहसील नांगंज, जिला -
रीवा ॥ म०प०

----- आवेदिका

अप्रैल की ओरेंट
श्री शप्त पाण्डेय एस.एस.
चा/ 30.7.1978
30.7.1978

बनाम

- 1 :- चन्द्रमणि प्रसाद पिता श्री रामेलाल ब्रा० ५ फौतौ,
- 2 :- श्रीमती गुजरातिया परित स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० ५ फौतौ
- 3 :- प्रियमणि पिता स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० उम् ५७ वर्ष,
- 4 :- प्रियबालक पिता स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० उम् ५५ वर्ष,
- 5 :- प्रियमंगल पिता स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० उम् ५३ वर्ष,
- 6 :- प्रियरत्न पिता स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा० उम् ५० वर्ष,
- 7 :- पुष्पादेवी पिता स्व० चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा०, परित श्री वृजेन्द्र
पाण्डेय, उम् लगभग ४५ वर्ष, सा० पतौर, तहसील उमरिया,
जिला उमरिया ॥ म०प०,
- 8 :- विक्रण पाण्डेय पुत्री स्व० श्री चन्द्रमणि प्रसाद ब्रा०, परित श्री
रमेश कुमार पाण्डेय उम् लगभग ४० वर्ष, निंग्राम अकट्टवाघाट,
बरदीव्हा ॥ जिला गोरखपुर ॥ उ०प०,
- 9 :- यशोमति पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद ५ फौतौ,
- 10 :- यशोमति पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद ५ फौतौ,
- 11 :- पुष्पा उर्फ ललइया पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद परित भौलानाथ
शुक्ला उम् लगभग ६० वर्ष, सा० दीपापुर, पो० गा० शीमठी
राजा तालाब ॥ वाराणसी ॥ उ०प०,
- 12 :- मनीषा तिवारी पुत्री स्व० रघुनाथ प्रसाद परित श्री देवीप्रसाद
तिवारी उम् लगभग ५५ वर्ष, सा० लालपुर, पो० मिर्जामुराद,
जिला वाराणसी ॥ उ०प०

अधिकारी
प्रमाणित

क्रमांक:

112::

13:- सावित्री पौत्र रघुनाथ [फौत] --- अना०गण०गेर पुनरीक्षणकर्ता०

पुनरीक्षण विस्तृ आदेश अनुविभागीय अधिकारी
महोदय तहसील मुरगंज जिला रीवा १८०पू०५
प०क्र०- १२/९ ६/०४-०५ आदेश दिनांक
२२.११.२०१७ इव १८.६.२०१८ अन्तर्गत
धारा ५० म०प०क्र० संहिता १९५९ ई०,

मान्यर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न हैं:-

प्रकरण का तथ्य :-

1:- यह एक अधीनस्थ न्यायालय में लंबित अपील के अपील चन्द्रमणि प्रसाद की मृत्यु दिनांक ५.३.०६ को हो गयी, परन्तु उनके वारिसान ने निर्धारित समय के अन्दर अपील [स्वर्गीय चन्द्रमणि] के बजाय पक्षकार बनाये जाने का आवेदन नहीं दिया, दिनांक ४.२.०७ को स्वर्गीय चन्द्रमणि की मृत्यु दर्शाते हुये, आदेश २२ नियम ३ जा०दी० का आवेदन दिनांक २२.३.०७ को दिया, जिसके जवाब में रेस्पा० [निगरानीकर्ता०] ने जवाब प्रस्तुत करते हुये अपील [स्वर्गीय चन्द्रमणि] की मृत्यु दिनांक ५.३.२००६ को होना बताते हुये, प्रकरण ओट हो जाने से छारिज किये जाने का निर्देश दिया, अपील गण ने मृतक अपील चन्द्रमणि प्रसाद के मृत्यु बावत् कोई प्रमाण पेशा नहीं किया।

2:- यह एक अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक २२.११.१७ को आदेश पारित कर आवेदन स्वीकार कर पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया, न साक्ष्य दिया, और अपील के वारिसान को कोई प्रमाण पेश करने का निर्देश दिया, वलिक रेस्पा० द्वारा कोई प्रमाण पेशा न करने का आधार बनाकर आवेदन स्वीकार किया, जो आदेश अैधा है।

3:- यह एक रेस्पा० [पुनरीक्षण कर्ता०] ने दिनांक २७.१२.१७ ले स्वर्गीय अपील के मृत्यु का प्रमाणित प्रमाण-पत्र पेश करते हुये पुनरीक्षण करना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी मृत्यु दिनांक ५.३.०६ ले

मुख्य
पुनरीक्षण

ANM-4679/2018/रीवा/मुख्य

125

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक तिथि/4679/२०१८ जिला रुदी

प्रेमवती पाण्डुघ विरुद्ध अन्तर्माला उल्लास

1	2	3
16.1.19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>शिवानंद पाठ्यार्थी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>मालवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>121366/2004-2025</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22.11.2017, 18.6.18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>रवि बा.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>28-03-19</u> को कलेक्टर <u>रवि बा.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">)</p> <p style="text-align: right;"><u> </u> सदस्य</p>	

जिला वाराण्सी ३०प्र०

1921

३४८